


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जयसिंह पुत्र श्री किशन सिंह ग्राम लौटोती तहसील जैतारण जिला-पाली 306302 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण प्रथम सूचना अपील संख्या :- 16/2022 जीसीएमएस नं. :- 2021/18 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>15/03/22</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 15.09.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण ने जरिये पत्रांक/ लोसू.अ./राजस्व/2022/166 दिनांक 25.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा जरिये पत्रांक/लोसूअ/2021/475 दिनांक 21.10.2021 के उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियों का अंकन नहीं किया गया है अतः वांछित सूचना का संधारण उनके कार्यालय में नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। तथा इस बाबत अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रैस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 15/03/2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो। <p style="text-align: center;">  नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	